भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1011

05 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान भारत योजना के तहत फर्जी दावे

†1011. श्रीमती माला रायः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास देश में आयुष्मान भारत मिशन के तहत फर्जी दावे के मामलों के संबंध में कोई आंकड़ा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे धोखाधड़ी के मामलों की कुल राशि का राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी है; और

(ग) भविष्य में इस तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) धोखाधड़ी के प्रति शून्य-सहिष्णुता के दृष्टिकोण पर संचालित होती है। धोखाधड़ी वाले लेनदेन की सक्रिय निगरानी के लिए उन्नत एआई/एमएल-आधारित विश्लेषण से उपयोग किया जाता है। योजना के कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में होने वाली विभिन्न प्रकार की धोखाधड़ी की रोकथाम, पता लगाने और निवारण के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण में राष्ट्रीय धोखाधड़ी-रोधी इकाई की स्थापना की गई है, जो धोखाधड़ी से संबंधित मुद्दों की जाँच और कार्रवाई करने के लिए राज्य धोखाधड़ी-रोधी इकाइयों के साथ मिलकर काम करती है।

धोखाधड़ी करने वाली संस्थाओं के विरुद्ध निलंबन, कारण बताओ नोटिस, चेतावनी- पत्र, अस्पतालों को पैनल से हटाना, ई-कार्ड को निष्क्रिय करना, दोषी अस्पतालों पर जुर्माना लगाना और प्राथमिकी दर्ज करना जैसी उचित कार्रवाई की जाती है।
